न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

उपस्थित—संध्या चौधरी, एच0जे0एस

(J.O. Code- UP 6161)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—584 / 2026

(C.N.R. No. UPST010018222026)

1—मीरा देवी पत्नी अजय कुमार

2—जयरा पत्नी मुन्नीलाल

निवासीगण ग्राम दिवाकरपट्टी, थाना कूरेभार, जिला सुलतानपुर

.....प्रर्थिनीगण / अभियुक्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी / अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0—97 / 2025,
धारा—115(2),191(2),352,351(3)110,117(2), बी0एन0एस0
थाना कूरेभार, जनपद सुलतानपुर।

1. उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रर्थिनीगण / अभियुक्तागण मीरा देवी एवं जयरा के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्राप्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 19.04.2025 की शाम करीब 6 बजे वादी के घर की लड़कियां दिशा मैदान के लिए जा रही थी तभी बलराम रास्ते में रोककर गाली—गुप्ता देने लगे, जब वादी के घर की लड़कियां विपक्षी को गाली गुप्ता देने से मना कर वापस अपने घर लौट आयी, थोड़ी देर बाद बलराम, संग्राम, मुन्नीलाल, नीका, छोटका, कंचन व मीरा अपने हाथ में लाठी—डण्डा व धारदार हथियार सूजा लेकर आये सभी लोग वादी व उसके परिवार वालो को गंदी—गंदी गाली व जान से मारने की एलानिया धमकी देते हुए एकराय होकर वादी के घर के अन्दर घुस गये और वादी व उसके भाई मनोराम व वादी के लड़के अमन एवं लड़की अनामिका व पत्नी किरन को मारने लगे, जिसके कारण सभी को गम्भीर चोटें आयी। विपक्षीगण के ललकारने पर मुन्नीलाल धारदार हथियार सूजा से वादी के भाई मनोराम पर कई वार किया जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया तभी हल्ला सुनकर गॉव वाले इक्कठा हो गये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कूरेभार से वादी व उसके भाई की स्थिति नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल सुलतानपुर रेफर कर दिया गया। वादी की दिनांक 20.04.2025 को अस्पताल से छुट्टी कर दी गयी और वादी के भाई का इलाज अभी भी जिला अस्पताल में चल रहा है।

3. प्रर्थिनीगण / अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया

है कि प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण पूर्णतया निर्दोष है कथित अभियोग में हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना दिनांक 19.04.2025 की कही जाती है और एफ0आई0आर0 दिनांक 20.04.2025 को दर्ज करायी गयी है। चिकित्सीय साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से भिन्न है, जिससे कथित घटना असत्य एवं संदिग्ध प्रतीत होती है। कथित प्राथमिकी में किसी भी स्वतन्त्र साक्षी का उल्लेख नहीं किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में कथित चोटहिलो को कोई प्राण घातक चोटें नहीं है और किसी को स्कल फ्रैक्चर नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. अभियोजनपक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है। प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तागण का जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तागण नामित अभियुक्ता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य उल्लिखित है कि अभियुक्तागण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके परिवार वालो को घर में घुसकर लाठी–डण्डा व धारदार हथियार सूजा से से मार पीट कर गम्भीर चोटें पहुॅचायी गयी। चोटहिलों का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल नाथूराम के शरीर पर चार चोटें पायी गयी हैं, चोट सं0 2, 3 व 4 को एक्सरे की सलाह दी गयी। चोटहिल नाथूराम की एक्सरे रिपोर्ट पत्रावाली पर संलग्न है। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल की एक्सरे रिपोर्ट में एन0ए0डी0 पाया गया है। चोटहिल अमन के शरीर पर साधारण प्रकृति की दो चोटें पायी गयी है। चोटहिला अनामिका के शरीर पर साधारण प्रकृति की दो चोटें पायी गयी है। चोटहिला किरन के शरीर पर कुल एक चोट दर्द की शिकायत की पायी गयी है। चोटहिल मनोराम के शरीर पर कुल 6 चोटें पायी गयी है, चोट नं0 2, 3, 4 व 6 को एक्सरे की सलाह दी गयी, शेष चोटें साधारण प्रकृति की पायी गयी। चोटहिल मनोराम के एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल की एक्सरे रिपोर्ट में चोट सं0 2, 3 व 4 एन0ए0डी0 पायी गयी तथा चोट सं0 6 चेस्ट में फ्रैक्चर पाया गया। अभियोजन द्वारा प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण आज तक अन्तरिम जमानत पर हैं, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्तगण मुन्नीलाल व संग्राम की जमानत दिनांक 03.02.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

7. प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण पर आरोपित अपराध में अधिकतम सात वर्ष तक की

सजा का प्रावधान है। ऐसे में प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य** में अवधारित निष्कर्ष के प्रकाश में जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

8. अतः चोटहिलों की चोटों की प्रकृति तथा प्रकरण के अन्य समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना न्यायालय जमानत हेतु मामला उपयुक्त पाती है।

आदेश

प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण मीरा देवी एवं जयरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण के द्वारा मु0 50,000/– रू0 (पचास हजार रूपये) का स्वबंध पत्र व समान राशि की एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तों के अधीन, जमानत पर मुक्त किया जावे–

1– प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी और न ही उन पर दबाव डालने का कोई प्रयास इत्यादि करेंगी।

2– प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण विचारण के दौरान आरोप विरचन की तिथि, बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किये जाने की तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगी।

3– प्रर्थिनीगण/अभियुक्तागण अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेंगे और न ही उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ करेंगी।

4– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अन्तर्गत दाण्डिक अपील संख्या 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत जमानतनामे स्वीकृत करते समय प्रतिभूओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगे।

sd/-

(संध्या चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।

दिनांक 10–03–2026

रोहित कुमार,
आशुलिपिक